

झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, देवघर।

विज्ञापन संख्या-01/2026

देवघर जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन।

- देवघर जिला के गृह रक्षक के रूप में नव-नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑन-लाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए ऑन-लाईन आवेदन विहित प्रपत्र में अलग-अलग जमा करेंगे।

नोट:- गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकतानुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता देय होता है। यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है, जो राष्ट्र की सेवा निःस्वार्थ करने के लिए तैयार हों।

- गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्ति निम्नवत् है, यह औपबंधिक संख्या है। जिसे बिना पूर्व सूचना के संशोधित/घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

देवघर जिला का शहरी/ग्रामीण (महिला/पुरुष) रिक्तियों प्रखण्डवार निम्न प्रकार है।

(क) ग्रामीण/शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति:-

क्र० सं०	प्रखण्ड का नाम	पुरुष/महिला रिक्तियाँ			शारीरिक जाँच परीक्षा एवं लिखित परीक्षा
		पुरुष	महिला	रिक्तियाँ	
01	देवघर सदर	32	32	64	
02	मोहनपुर	39	39	78	
03	करौँ	33	32	65	
04	पालोजोरी	23	24	47	
05	सारठ	28	28	56	
06	मरगोमुण्डा	49	49	98	
07	सारवाँ	25	26	51	
08	सेनारायठाडी	52	52	104	
09	देवीपुर	16	15	31	
10	मधुपुर ग्रामीण	21	20	41	
	कुल-	318	317	635	

(ख) शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति :-

क्र० सं०	शहरी क्षेत्र	पुरुष	महिला	तकनीकी		गैर-तकनीकी		रिक्तियाँ
				पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
01	देवघर शहरी	41	41	21	20	20	21	82
02	मधुपुर शहरी	27	28	14	14	13	14	55
	कुल-	68	69	35	34	33	35	137

(Handwritten signatures and marks)

- a. शारीरिक जाँच परीक्षा का स्थल तिथि एवं लिखित तथा तकनीकी जाँच परीक्षा की सूचना बाद में समाचार पत्रों के माध्यम दी जायेगी।

उपरोक्त दोनों कोटि (ग्रामीण/शहरी गृह रक्षक) के लिए नामांकन में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए कर्णांकित होंगे। शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति में 50 प्रतिशत पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर-तकनीकी/तकनीकी दक्ष की रिक्ति एक दुसरे से भरी जाएगी।

महिलाओं के लिए कर्णांकित पदों में से 05 प्रतिशत पद अर्हता प्राप्त तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने के स्थिति में उक्त 05 प्रतिशत पद पुनः महिलाओं के लिए कर्णांकित प्रतिशत में समाहित हो जायेगा।

3. अर्हता—

(क) आवासीय:—

- ग्रामीण गृह रक्षक— अभ्यर्थी को देवघर जिला के उस प्रखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑन- लाईन आवेदन करेंगे। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्वःअभिप्रमाणित आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।
- शहरी गृह रक्षक— अभ्यर्थी को देवघर जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्वःअभिप्रमाणित आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।

(ख) उम्र सीमा:— 01.01.2026 को 19 से 40 वर्ष।

(ग) शैक्षणिक योग्यता:—

- ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7 वीं पास। अभ्यर्थी स्वःअभिप्रमाणित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।
- शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक (10)वीं पास। अभ्यर्थी स्वःअभिप्रमाणित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।

(घ) शारीरिक मापदण्ड:— (ग्रामीण/शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए समान)

- लम्बाई:— पुरुष— 162 से 0मी0 (सामान्य/ओ.बी.सी./बी.सी.)
157 से 0मी0 (अ.ज.जा./अ.जा.)
महिला—148 से 0मी0 (सभी के लिए)
- सीना:— पुरुष— 79 से 0मी0 (सामान्य/ओ.बी.सी./बी.सी.)
76 से 0मी0 (अ.ज.जा./अ.जा.)

शारीरिक मापदण्ड में छूट हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (ङ) तकनीकी दक्षता (सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए):— अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत/स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जायेगा— चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कम्प्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाईसेंसधारी चालक, (एच.एम.भी/एल.एम.भी), रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, पलम्बर आदि। तकनीकी दक्षता से संबंधित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।

4. चयन प्रक्रिया:— गृह विभाग झारखण्ड सरकार, राँची की अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक-20.10.2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नलिखित जाँच परीक्षा ली जायेगी।



(क) शारीरिक जाँच परीक्षा:- इसके अन्तर्गत 1 मील की दौड़, ऊँची कूद, लम्बी कूद, शॉट पूट सम्मिलित होगा, जिसमें निम्नवत् अंक प्रदान किया जायेगा:-

(ii) ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर-तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए-

जाँच	पुरुष	महिला
दौड़ (1 मील)	05 मिनट या पहले- 20 अंक 05 से अधिक 6 मिनट तक- 10 अंक 06 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जायेंगे। Rojgarkikhoj.com	08 मिनट या पहले- 20 अंक 08 से अधिक 10 मिनट तक- 10 अंक 10 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जायेंगे।
ऊँची कूद	(क) न्यूनतम 4 फीट - 5 अंक (ख) 4' - 4'3" फीट - 6 अंक (ग) 4'3" - 4'6" फीट - 7 अंक (घ) 4'6" - 4'9" फीट - 8 अंक (च) 4'9" - 5' फीट - 9 अंक (छ) 5' और अधिक - 10 अंक	(क) न्यूनतम 3 फीट - 5 अंक (ख) 3' - 3'3" फीट - 6 अंक (ग) 3'3" - 3'6" फीट - 7 अंक (घ) 3'6" - 3'9" फीट - 8 अंक (च) 3'9" - 4' फीट - 9 अंक (छ) 4' और अधिक - 10 अंक
लम्बी कूद	(क) न्यूनतम 12 फीट - 5 अंक (ख) 12' - 13' फीट - 6 अंक (ग) 13' - 14' फीट - 7 अंक (घ) 14' - 15' फीट - 8 अंक (च) 15' - 16' फीट - 9 अंक (छ) 16' से अधिक - 10 अंक	(क) न्यूनतम 9 फीट - 5 अंक (ख) 9' - 10' फीट - 6 अंक (ग) 10' - 11' फीट - 7 अंक (घ) 11' - 12' फीट - 8 अंक (च) 12' - 13' फीट - 9 अंक (छ) 13' से अधिक - 10 अंक
शॉट पूट	16 पौण्ड - न्यूनतम 16 फीट	10 पौण्ड - न्यूनतम 10 फीट

(iii) तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए:-

जाँच	पुरुष	महिला
दौड़ (1 मील)	06 मिनट या पहले- 20 अंक 06 से अधिक 8 मिनट तक- 10 अंक 08 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जायेंगे।	08 मिनट या पहले- 20 अंक 08 से अधिक 12 मिनट तक- 10 अंक 12 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जायेंगे।
ऊँची कूद	(क) न्यूनतम 3.5 फीट - 5 अंक (ख) 4' और अधिक - 10 अंक	(क) न्यूनतम 2.5 फीट - 5 अंक (ख) 3' और अधिक - 10 अंक
लम्बी कूद	(क) न्यूनतम 9 फीट - 5 अंक	(क) न्यूनतम 6 फीट - 5 अंक



(ख) 10' और अधिक – 10 अंक
शॉट पूट 16 पौण्ड – न्यूनतम 12 फीट

(ख) 7' और अधिक – 10 अंक
10 पौण्ड – न्यूनतम 8 फीट

- (ख) हिन्दी लेखन-क्षमता परीक्षा:- शारीरिक जाँच परीक्षा में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी को हिन्दी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जाँच की जायेगी। यह क्वालिफाईंग होगा, पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा।
- (ग) तकनीकी दक्षता परीक्षा:- (सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए):- शारीरिक जाँच परीक्षा एवं हिन्दी लेखन-क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जायेगी, जो क्वालिफाईंग होगा, पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा।
- (घ) सभी जाँच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपर्युक्त अधिसूचना में दिये गये प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी जिसके आलोक में रिक्ति के विरुद्ध चयन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण-पत्र/अभिलेख/दस्तावेज, चिकित्सीय जाँच तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात उसे अनुकूल पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची के आदेशोपरान्त गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नव-नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।

5. अभ्यर्थी जो राष्ट्र/राज्यस्तरीय खेल-कूद में पुरस्कृत हुए हैं उन्हें निम्नवत् अतिरिक्त अंक प्रदान किया जायेगा।

स्थान	राष्ट्रीय	राज्य स्तरीय
प्रथम	6 अंक	3 अंक
द्वितीय	4 अंक	2 अंक
तृतीय	2 अंक	1 अंक

6. शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10 प्रतिशत नामांकित करने की सीमा निर्धारण है। सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नवत् अंक दिये जायेंगे:-

शैक्षणिक योग्यता	अंक
स्नातकोत्तर	10 अंक
स्नातक	8 अंक
इंटरमिडिएट	6 अंक
मैट्रिक	4 अंक

7. आवेदन कैसे करें:- आवेदक द्वारा ऑन-लाईन आवेदन दिनांक-11.10.26 से 26.10.26 अपराह्न 5:00 बजे तक वेबसाइट recruitment.jharkhand.gov.in पर किया जायेगा। आवेदन शुल्क की राशि 100 रु0 (एक सौ रुपये) मात्र निर्धारित वेबसाइट पर ONLINE PAYMENT GATEWAY के माध्यम से आवेदन पत्र

(Handwritten signatures and marks)

- ऑन-लाईन जमा करते समय ही जमा करना है। आवेदन शुल्क जमा होने के उपरान्त ही अंतिम रूप से आवेदन समर्पित होगा।
8. ऑन-लाईन आवेदन में आवेदक द्वारा हाल का रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है।
 9. एक आवेदक से एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा। एक आवेदक एक ही प्रखण्ड/शहरी क्षेत्र से आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त के विपरीत आवेदन करने पर चयन प्रक्रिया के किसी भी Stage पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
 10. अर्हता के अनुरूप आवेदन से ऑन-लाईन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी पूर्णरूपेण भरा जाना अनिवार्य है।
 11. आवेदन/विज्ञापन के संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई में जिला समादेष्टा कार्यालय झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, देवघर से संपर्क किया जा सकता है।
 12. आवेदक द्वारा आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑन-लाईन आवेदन में देना अनिवार्य है। आधार कार्ड वांछित है।
 13. जाँच/परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना की बाद में पुनः दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी।
 14. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गई प्रविष्टि गलत पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के आवेदन को रद्द किया जा सकता है। जिसके संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
 15. शहरी तकनीकी श्रेणी के अभ्यर्थी को तकनीकी जाँच परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द मानी जायेगी।
 16. आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षणिक प्रमाण पत्र/तकनीकी प्रमाण पत्र/उम्र संबंधी प्रमाण पत्र/खेल-कूद संबंधी प्रमाण पत्र/आवासीय प्रमाण पत्र एवं किसी प्रकार की छुट हेतु जाति प्रमाण-पत्र आवेदन की तिथि से पूर्व का निर्गत होना अनिवार्य होगा।
 17. आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले सभी प्रमाण-पत्रों को स्वःअभिप्रमाणित करना अनिवार्य है।
 18. विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना एवं गृह रक्षक नामांकन का परीक्षाफल N.I.C देवघर के वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। Rojgarkikhoj.com
 19. गृह रक्षकों के नव-नामांकन से संबंधित किसी प्रकार की गलत सूचना दिये जाने पर उनके विरुद्ध BNS के सुसंगत धाराओं में विधि सम्मत कार्रवाही की जाएगी एवं संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी चरण (स्टेज) में रद्द की जा सकती है।
 20. आवेदन की अवधि एवं विज्ञापन में किसी प्रकार का आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।

Asle h
63/09/26
जिला समादेष्टा-सह सदस्य,
गृह रक्षक नवनामांकन समिति,
देवघर।

Unonuan
03-09-26
पुलिस अधीक्षक-सह-सदस्य,
गृह रक्षक नवनामांकन समिति,
देवघर।

8/9/26
05.09.26
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,
गृह रक्षक नवनामांकन समिति,
देवघर।

f

h

8/9/26

h